दिनांक 22.12.2016 को विकास आयुक्त द्वारा ली गई वीडियो कान्फ्रेंस में निर्देश

1. महात्मा गांधी नरेगा

1.1 यह सुनिश्चित किया जाए कि :–

(अ) प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम एक सामुदायिक कार्य 31.12.2016 तक प्रारम्भ हो जाए।

(ब) प्रत्येक ग्राम पंचायत में उसके वार्षिक लेबर बजट में श्रमिकों को नियोजित करने के लिए आवश्यक कार्य स्वीकृत कराये जाएं।

(स) दिनांक 31.12.2016 तक प्रत्येक ग्राम के लिए मोक्ष धाम एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान स्वीकृत कराये जाएं।

1.2 जिन ग्राम पंचायतों में एक भी सामुदायिक कार्य 31.12.2016 तक प्रारम्भ नहीं होंगे उनमें रोजगार सहायक को मानदेय देना संभव नहीं होगा। कार्य प्रारम्भ नहीं होने की दशा में ऐसे रोजगार सहायकों की अनुबंधित सेवाओं को समाप्त करने की स्थिति बनेगी। अतः जिन ग्राम पंचायतों में 10 जनवरी 2017 तक सामुदायिक कार्यों में श्रमिक नियोजन नहीं होगा उनके ग्राम सहायकों की सेवाएं समाप्त करने के सम्बन्ध में दिनांक 12.01.2017 की वीडियो कान्फ्रेंसिंग में निर्णय लिया जाएगा और ग्राम पंचायत के सचिव के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना

2.1 दिनांक 28.12.2016 को जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। कार्यक्रम 10.00 बजे से प्रारम्भ किया जाए। प्रातः 10.30 से दोपहर 1.00 बजे तक प्रशिक्षण सत्र सम्पन्न किया जाए। दोपहर 1.00 से 2.00 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा प्रसारण होगा। तदोपरांत हितग्राहियों को कार्यक्रम में ही स्वीकृति आदेश वितरित किये जाएं।

2.2 दिसम्बर 2016 में जारी अतिरिक्त लक्ष्य के विरूद्ध हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन में अपात्र पाये गये हितग्राहियों के विरूद्ध सूची में अगले पात्र व्यक्ति का चयन किया जाए। यदि अगला पात्र व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नहीं हो तो सामान्य वर्ग के पात्र व्यक्ति को लाभ दिया जाए। यदि ग्राम में 'एक कक्ष कच्चा घर' श्रेणी में एसईसीसी 2012 में कोई हितग्राही शेष नहीं बचे तो ऐसा लक्ष्य विकास आयुक्त को समर्पित किया जाए।

2.3 आवास साफ्ट में हितग्राहियों के पंजीयन फोटो अपलोड जियो टैग्ड करने की स्वीकृति की कार्रवाई समय रहते पूरी की जाए।

24.12.16.

3. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (आजीविका मिशन)

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण तथा मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य दिसम्बर 2016 तक वितरण पूर्ण कर किये जाएं।

4. स्वच्छ भारत मिशन

4.1 जिन जिलों में प्रगति स्व–निर्धारित लक्ष्य के एक तिहाई से भी कम है उनके मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को समझाईश दी गई।

4.2 स्व–निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सम्बन्धी टिप्पणी सम्बन्धित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के वर्ष 2016–17 के **PAR(CR)** में अंकित की जाएगी अतः इस पर विशेष ध्यान दें।

5. पंचायती राज

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के न्यायालय में पंयायती राज अधिनियम के तहत धारा 40 एवं धारा 92 तथा पंचायत निर्वाचन सम्बन्धी लंबित प्रकरणों की जानकारी संकलित कर अगली वीडियो कान्फ्रेंस से पूर्व गूगल शीट में दर्ज की जाए। अगली वीडियो कान्फ्रेंस दिनांक 29.12.2016 में इसकी समीक्षा की जाएगी।

6. विकास आयुक्त द्वारा सामान्यतः बहुत कम पत्र लिखे जाते हैं। वीडियो कान्फ्रेंस में यह स्पष्ट हुआ कि कई मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने विकास आयुक्त के प्राप्त पत्रों को मात्र देखा, लेकिन पढ़ा नहीं। बिना पढ़े एवं बिना समझे योजनाओं पर अमल नहीं किया जा सकता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की गंभीर चूक को वीडियो कान्फ्रेंस में इंगित करते हुए निर्देशित किया गया कि विकास आयुक्त के सभी पत्रों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी न केवल पढ़ें, वरन् उन पर अमल की साप्ताहिक समीक्षा करें। विकास आयुक्त के पत्रों को अनिवार्यतः कलेक्टर की जानकारी में लाते हुए कलेक्टर से विषयांतर्गत विचार–विमर्श कर मार्गदर्शलन लें।

7. आयुक्त, मनरेगा यह सुनिश्चित करें कि विभागीय वेबसाइट पर राज्य शासन द्वारा जारी किये जा रहे महत्वपूर्ण पत्रों को इस प्रकार अपलोड किया जाए कि चलित पट्टी के रूप में सहजता से प्रदर्शित हों।

24.12.16

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
म.प्र.